न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30 / 2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र पुत्र गुड्डी पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सन्तलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
3. विद्या पत्नि साहबराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. कौशल्या पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
5. सिलोचना पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
6. परमेश्वरी पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
7. सुभाष पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. प्रवीण पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
9. मुखी पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
10. कमला पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
11. बाद्यो पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
12. अनुबाला पुत्री गुड्डी पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
13. गुलाब पुत्री गुड्डी पुत्री हजारी जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
14. पतली पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
15. विनोद पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
16. इन्द्रपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
17. कान्ता पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
19. बनवारीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13
व सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 09/12/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया है कि गैरसायल ने एक वाद सं. 524 सन् 2024 महेन्द्र बनाम सन्तलाल आदि न्यायालय में पेश करके निवेदन किया कि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 11 के.एन.एन. तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2076–[illegible] के खाता सं. [illegible]/87 की के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि में 1/4 हिस्सा [illegible] खाता सं. 78/73 की कुल तादादी 24.0350 हैक्टर भूमि में 1/16 हिस्सा व [illegible] तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 134/133 के कुल खसरे [illegible]3 की कुल तादादी [illegible]0 हैक्टर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा 7 के.एन.एन. तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता सं. 126/120 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 5.8190 हैक्टर भूमि में 485/5819 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक साहबराम पुत्र हजारी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है साहबराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 है जो अपने हक व हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करापाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीया सं. 3 व 4 वादी की बहिनें है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है त्याग कर दिया है तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादीया सं. 2 व 4/5 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. दर्ज किया जावे वाद दिनांक 27/06/2024 को एक–पक्षीय तौर पर बिना दस्तावेज व बिना साक्ष्य के तथा विभिन्न अदालतों में पूर्व से पारित निर्णय व डिक्री व दावा के चलते विधि विरूद्ध न्यायालय मं गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद डिक्री करवाया है जो की विधि विरूद्ध है।

हजारी की मृत्यु के पश्चात मुखी कमला बाद्यो व साहबराम बनवारी सोहनलाल बृजालाल ने अपने पक्ष में गलत तौर पर विधि–विरूध करवाई गयी दस्तबरदारी को वरिष्ठ सिविल न्यायधीश नोहर द्वारा वाद सं. 25/2015 में दिनांक 29/08/2016 को अनवानी श्रीमति मुखी देवी बनाम बनवारीलाल में खारिज हो चुकी है दस्तबरदारी खारिज होने के पश्चात् वाद भूमि में हजारी के आठों वारिस का ब.हि.ब. दर्ज होना चाहिये था। साहबराम (मृतक) जो महेन्द्र का पिता था ने ए वाद सं. 179/2016 अनवानी साहबराम बनाम बनवारी आदि न्यायालय एस.डी.ओ. नोहर पेश किया कि हजारी के सभी वारिसान का 1/8,1/8 हिस्सा दर्ज है को दुरूस्त कर 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे जिसमें एकपक्षीय तौर पर सायल व मौसियां गैरसायलान सं. 9, 10, 11 का नाम कलमजन कर अमलदरामद करने का निर्णय व डिक्री फरमाया गया जिसकी अपील मुखी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में अपील सं. 119/2011 अनवानी बनवारी आदि बनाम साहबराम आदि पेश हुई जिसमें न्यायालय एस.डी.ओ. नोहर का अपीलकृत आदेश दिनांक 19/01/2011 को खारिज कर दिया तत्पश्चात् साहबराम की मृत्यु के कारण उसके पुत्र गैरसायल सं. 1 महेन्द्र ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 07/07/2017 के विरूध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में महेन्द्र बनाम बनवारी आदि अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट पेश की जो इस प्रार्थना–पत्र में दर्ज दावा सं. 524/2024 निर्णय दिनांक 27/06/2024 के पश्चात दिनांक 24/07/2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवा ली जिससे राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय बहाल हो गया जिसकी पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त तथ्यों को छिपाकर व फर्जी व कुटरचित शपथ–पत्र पेश कर वाद डिक्री करवाया है जो विधि–विरूध है जब तक पूर्ववर्ती वाद का निर्णय व डिक्री व अपीलकृत आदेश जारी है तथा प्रभावशील है तब तक अन्य वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि एक पक्षीय डिक्री प्रार्थी के हकों के मुकाबिले शुन्य है तथा प्रार्थी के हकों का हनन करने वाला है तथा सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया फर्जी व कुटरचित दस्तावेज व तथ्यों पर आधारित डिक्री अनवानी दावा महेन्दे बनाम सन्तलाल आदि वाद सं. 524/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27/06/2024 को खारिज कर प्रार्थी को सुनवाई व जवाब. साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] तामील होने के बाद भी उपस्थित नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

अत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 6 ता 17 व 19 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक साहबराम के वारिसान द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद स0 524/2024 अनवानी महेन्द्र बनाम संतलाल पेश किया गया जिसे दिनांक 27.06.2024 को पक्षकारान की सहमति के आधार पर साहबराम जो की मृतक है का नाम कलमजन किया जाकर वाद वादी डिक्री किया गया। लेकिन उक्त वाद भूमि बाबत एक वाद स0 179/2006 अनवानी साहबराम बनाम बनवारी न्यायाल हाजा द्वारा दिनांक 19.01.2011 को निर्णित किया गया उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.2017 को माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2016 के द्वारा साहबराम की बहिनों की साहबराम के पक्ष मे कि गई दस्बरदारी को निरस्त किया गया है को आधार मानकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2011 को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय की अपील माननीय राजस्व अजमेर मे पेश की गई जो की दिनांक 24.07.2024 को अदम पैरवी मे खारिज की गई। लेकिन अप्रार्थी स0 1 ता 5 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों को छुपाकर न्यायालय हाजा में वाद स0 524/2024 पेश किया जिसमें सायल भी प्रभावित पक्षकार था क्योंकि सायल की माता द्वारा की गई दस्बरदारी माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी थी एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण मे तय होना था की वाद भूमि में साहबराम का कितना हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 ता 5 द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर न्यायालय से वाद स0 524/2024 डिक्री करवा लिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा वाद स0 524/2024 क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया था।

इसप्रकार वादी ने न्यायालय में वाद संख्या 524/2024 अनवानी महेन्द्र बनाम संतलाल को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त की गई दस्तबरदारी के तथ्यो को छुपाकर पूर्व हक से ज्यादा दर्ज भूमि का वाद पेश कर तथ्यो को छुपाकर इस कार्यालय से निर्णय दिनांक 27.06.2024 पारित करवाया गया है जो तथ्यो को छुपाकर कपट पूर्वक निर्णय करवाने की श्रेणी में आता है जो निरस्त किये जाने योग्य है

उपरोक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि पूर्व में वादी के पिता साहबराम के पक्ष में उनकी बहनो के द्वारा दस्तबरदारी करने के कारण वादी के पिता साहबराम के नाम भूमि दर्ज हुई थी किन्तु सिविल न्यायालय के द्वारा आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर साहबराम की बहनो के द्वारा करवाई गइ दस्तबरदारी को निरस्त किया जा चुका था जिसके कारण दस्तबरादारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए अंकन को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की जानी थी किन्तु उससे पूर्व ही उपरोक्तानुसार राजस्व वाद विचाराधीन होने के कारण दस्तबरदारी निरस्त का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हो पाया जिसका विवाद माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन था इसी दौरान महेन्द्र ने [illegible] को छुपाकर वाद संख्या 524/2024 पेश कर हक से ज्यादा दर्ज भूमि [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण को खारिज [illegible] रिकार्ड में अकन करवाया गया था वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

राजस्व मण्डल में विचाराधीन वाद एव पूर्व में विचाराधीन वाद के तथ्यो को छुपाकर निर्णय पारित करवाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीाकर किया जाकर प्रकरण संख्या 524/2024 अनवानी महेन्द्र बनाम सन्तलाल आदि में पारित निर्णय/पर्चा डिक्री दिनांक 27.06.2024 को खारिज किया जाता है यदि उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है तो निर्णय से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नोहर को प्रति भिजवाई जावे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 09/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:14:20 IST
Reason: SelfAttested